



कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 59

अगस्त, 2014

अंक 8

समापति का पत्र :

किसानों के लिए बजट ; किंतु वित्त मंत्री ने कहां पर अवहेलना की



भारतीय युवा ऐसे वातावरण में अपना कैरियर आरंभ कर रहे हैं जो आशाविहीन होता है और उनके लिए अवसर नहीं होते, जबकि बजट में थोड़ा-थोड़ा बांटा गया है, ऐसी स्थिति राजनीतिज्ञों के लिए तो लोकप्रिय रहती है। मैं पहले वाली सरकार की नीतियों को जारी रखने पर बहस नहीं करूंगा जो एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है न ही नए उपाय न करने पर नई सरकार की आलोचना करूंगा क्योंकि आर्थिक बपौती की भी सीमाएं होती हैं। हमने केवल इतनी आशा की थी कि वे हमें अधिक रूप में संबोधित कर पाते।

अपने पूर्व मंत्रियों की तरह ही अरूण जेटली ने भी वित्तीय जिम्मेदारियों पर से पर्दा उठाने में कोताही बरती है। इस वर्ष उर्वरक आर्थिक सहायता के रूप में 73,000 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। इसकी वास्तविक राशि की मात्रा 85,000 करोड़ रु. तक हो सकती है। पिछले वर्ष की उर्वरक पर बकाया आर्थिक सहायता के रूप में 38,000 करोड़ रु. का भुगतान कर देने पर अगस्त महीने तक ही बकाया 35,000 करोड़ रु. की राशि खर्च हो जाएगी। रबी मौसम के लिए उर्वरक आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। यदि गैस मूल्यों में दो गुना अनिवार्य वृद्धि की जाती है तो केवल यूरिया सब्सिडी पर ही 10,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इन सबको मिलाकर 60,000 करोड़ रु. की कमी से सरकारी राजस्व घाटा कमजोर होगा। क्या वित्त मंत्री के पास कोई अन्य योजनाएं हो सकती हैं ?

अर्थशास्त्री बजट प्रस्तुति की आलोचना करने में व्यस्त हैं और वित्त मंत्री के कथन के महत्व को वे अनदेखा कर रहे हैं जो उन्होंने 'यूरिया नीति समीक्षा' के बारे में कथन दिया था। वित्त मंत्री ने साधारण रूप से यूरिया नीति का उल्लेख किया और उर्वरक नीति शब्द का उपयोग नहीं किया। उर्वरक नीति को अर्थ होगा की विभिन्न न्यूट्रियंट्स के बीच आर्थिक सहायता का पुनः आबंटन ताकि समान उपयोग को बढ़ावा मिले, जबकि यूरिया नीति की समीक्षा का अर्थ यूरिया की आर्थिक सहायता में कमी करना। वित्त मंत्री का

कोई इरादा ऐसा नहीं कि किसानों या आम जनता के बीच किसी तरह का आतंक या नाराजगी पैदा करें। भारतीय जनता पार्टी किसानों को कड़वी गोली देने से पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले राज्य विधान सभा का चुनाव जीतने का इंतजार करेंगे।

अपने बजट भाषण में 100 मोबाइल मिट्टी परीक्षण वाहनों के लिए केवल 58 करोड़ रु. आबंटित करना मुझे आश्चर्य चकित करता है। विश्व में सस्ते मिट्टी परीक्षण की तकनीक यथा; कंपैक्ट बैग पैक को अपनाया जा रहा है। देश में केवल 100 वाहनों की आवश्यकता नहीं है बल्कि 4000 अग्रिम मिट्टी परीक्षण यूनिटों की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री द्वारा ढाई घंटे के भाषण में कुछ छोटे उपायों या सुझावों को देने के स्थान पर 8 लाख करोड़ रु. कृषि ऋण के क्षेत्र को देने को महत्व देते, तो बेहतर होता। कानूनी रूप से आशंका है कि इस कार्य की जांच हो सकती है क्योंकि इतनी बड़ी राशि में से अधिकतम राशि किसानों को आबंटित नहीं की जाएगी। सांसदों और सामान्य जन को भी इस भेद-भाव के बारे में समान रूप से परिचित कराना चाहिए। विशेषकर जब पश्चिम बंगाल में 54.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 46.3 प्रतिशत और तमिलनाडु में 33 प्रतिशत कृषि ऋण शहरी या महानगरों की बैंक शाखाओं द्वारा दिया जाता है।

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सहायता के रूप में 5000 करोड़ रु. का 'दीर्घ कालिक ग्रामीण ऋण निधि' देना काफी सराहनीय है। इन बैंकों के लिए लघु कालिक अवधि हेतु दोबारा पैसा देने से पुनः ब्याज छोड़ना कठिन हो जाएगा। इस घोषणा का इंतजार था कि इन छोटे बैंकों में पूंजी लगाई जाए ताकि 9 प्रतिशत न्यूनतम अंश के मानदंडों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश को पूरा किया जा सके या ये बैंक बंद हो जाएंगे।

5 लाख संयुक्त परिवारों, भूमिहीन किसानों के समूहों को नबार्ड के माध्यम से पैसा बांटना एक महत्वपूर्ण आबंटन है किंतु जिस गति से नबार्ड कार्यकर्ता है मुझे संदेह है कि वह इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएगा। स्विल इंडिया, रूरबनमिशन, निरांचल और किसान टी.वी. जैसे नए कार्यक्रम आरंभ करना प्रशंसनीय है जिनसे किसानों की मंडियों को प्रोत्साहन मिलता है। न चाहते हुए भी मूल्य स्थिरता निधि एक ऐसी दिशा हो सकती है जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की परंपरा से छुटकारा मिले और किसानों हेतु आय नीति बन सके।

हम पूरे उत्साह से एक कारगर फसल बीमा नीति की उम्मीद कर रहे थे। भूमिहीन मजदूर के लिए 1000 रु. मासिक पेंशन एक अच्छी और वैध मांग है क्योंकि संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को इसी प्रकार की गारंटी मिल रही है।

मैं नदियों के एकीकरण जैसी परियोजनाओं के प्रति काफी सावधानी बरत रहा हूँ क्योंकि इनमें निर्धारित लक्ष्य का आधा भाग प्राप्त करने के लिए भी 5 गुना अधिक लागत आने

का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण की हानि का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

प्रधानमंत्री को टी.वी. चैनलों पर वार्तालाप के दौरान मिलने वाली चहक और प्रसार को नज्दअंदाज करना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे समाज के बड़े वर्ग का रत्ती भर भी नहीं है। उन्हें ओद्योगिक संघों की चापलूसी से भी बचना चाहिए जिन्होंने आज तक किसी भी बजट भाषण का विरोध नहीं किया है, जहां तक मुझे याद है। वे परिवर्तन न पाने पर ही सरकारी नीतियों में दोष निकालना आरंभ करते हैं। जबकि नीतियों में परिवर्तन के समय नहीं बोलते। अधिकतम भारतीय जो न तो बजट प्रसारण देखते हैं, न ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या आयकर देते हैं, वे लोग ही अगले पांच साल में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। भारत सरकार ने अधिकतम लोगों को अपने इरादों या उचित दिशा देने का स्पष्ट अवसर खो दिया है।

— अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

भारतीय कृषि और सरकार की भूमिका

*डॉ० लवीश मंडारी

पृष्ठभूमि

अर्थव्यवस्था के कई घटक होते हैं और कई मिश्रित पहलुओं के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ त्रुटियां और समस्याएं हर तरफ होती हैं और प्रत्येक घटक विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता है। जब हम किसी एक क्षेत्र में कोई एक समस्या देखते हैं तो यह मान लें कि वह प्राकृतिक है और समस्या कहां है, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है। मुख्य समस्या कहीं और है और हमारे समक्ष केवल उसके लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं।

कृषि की यही कहानी है। कई वर्षों से न तो निवेशकों और न ही नौकरी की तलाश करने वालों के लिए कृषि एक आकर्षित क्षेत्र रहा है। किसानों के बच्चे शहरों में रहना पसंद करते हैं और जहां तक कि वे अच्छी आय और बेहतर रहन-सहन स्तर की तलाश में उन स्थितियों में रहने पर भी राजी हो जाते हैं जो आम आदमी के बिल्कुल अनुकूल नहीं होती। दूसरी ओर खाद्य और अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्यों में पिछले एक दशक से मुद्रा स्फीति देखी जा रही है। अन्य शब्दों में, यदि कृषि क्षेत्र में समस्या है तो यह केवल कृषि क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं करेगी बल्कि शहरवासियों और पूरे देश को भी प्रभावित करती है। इतना होने पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कई विशेषज्ञ परामर्श देते हैं कि यदि कृषि में सुधार करना है तो ग्रामीण भारत की समस्याओं को दूर करना होगा।

किंतु मैं कुछ अलग प्रश्न पूछता हूँ और मुझे उत्तर अलग ही मिलता है और बहुत से लोग भी आपको वही उत्तर देंगे। कई सदियों से कृषि क्षेत्र ने अधिक उत्पादन और पर्याप्त वृद्धि की है और जहां तक कि भारतीय सम्यता का पुनर्गठन भी हुआ है। गांववासियों के लिए समृद्धता अनजान नहीं है - जब शासक गांव वालों को आर्थिक सहायता और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के स्थान पर उन पर भारी लगान लगाते थे। कृषि को कौन सी स्थिति समृद्धता से अलग करती है ? यदि गांव में कई समस्याएं हैं तो गांववासियों को उनका समाधान करने से कौन रोकता है ? क्या किसान कम कारोबार जानते हैं ? क्या वे कम सक्षम हैं ? क्या वे एक नगर में रहने वाले सेठ से कम कारोबार करना जानते हैं ? क्या वे कमजोर हैं ?

मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इनमें से वे किसी से कम नहीं। किसान सक्षम, व्यापारी और उतना ही नई शुरुआत करने वाला है जितना कोई अन्य। स्पष्ट रूप में कृषि की समस्या को गांव में ही ठीक नहीं किया जा सकता बल्कि समस्या का कारण कहीं और है, जिस पर किसान का नियंत्रण नहीं है। एक मुख्या समस्या।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला बड़ा देश है और कृषि क्षेत्र भी उससे कम नहीं है। व्यापक शब्दों में न बोलकर एक ही वस्तु पर वार्तालाप करें। इस क्षेत्र में अन्य उत्पादों की तुलना में अलग समस्याएं हो सकती हैं, किंतु प्रमुख संदेश को समझने में यह सहायक होगी।

फल और सब्जियों का उदाहरण लें। यह एक ऐसा उत्पाद है जो अधिक लाभ और आय किसानों को दे सकता है यदि वे उचित प्रकार से शहर के बाजारों में पहुंच सकें। वास्तविकता यह है कि शहरी लोग पिछले एक दशक से खाद्य मुद्रा स्फीति की मार झेल रहे हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था में कई खामियां हैं और कुछ घटक सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

एक टिपिकल विशेषज्ञ को कहेगा कि हमें अधिक शीत-मंडार, अच्छे गोदाम बनाने होंगे ताकि शहरी मंडियों को किसानों को लाभ मिल सके, और वह ठीक होगा। किंतु मैं एक मूल प्रश्न पूछता हूँ कि यदि इन क्षेत्रों में समस्याएं हैं तो इन्हें किसी ने पहले दूर क्यों नहीं किया ? इन शीतमंडारों, गोदामों का व्यापक निर्माण नहीं किया गया क्योंकि यह गंभीर समस्या नहीं है, यदि आज भी हम देश भर में शीतमंडार बना दें तो भी उच्च उपभोक्ता मुद्रा स्फीति और किसानों को कम मूल्य की समस्या का समाधान नहीं होगा। किंतु जब एक बार संवेदनशील समस्या का समाधान हो जाए तो किसान स्वयं या उसका पड़ोसी या कोई कंपनी इन गोदामों और शीत मंडारों का निर्माण करेगी तो ही वे उम्मीद करेंगे कि इसकी व्यापक मांग होगी और इसमें से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

अगली समस्याएं कानून से संबंधित हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहेंगे कि आंतरिक व्यापार को प्रभावित करने वाले कानून बदलने या अनिवार्य जिंस अधिनियम को हटाने अथवा इसे इसका क्षेत्र कम करने, कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में विचारणीय परिवर्तन आदि करने की आवश्यकता है। और वे सही हो सकते हैं ये सब कार्य हमें खाद्य आंतरिक व्यापार में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि मूल समस्या के ये प्रमुख कारण हैं तो क्या इन हानिकारक अधिनियमों से छुटकारा पाने के लिए क्या किसानों का मजबूत संगठन नहीं होगा ? यह सही है कि इन कानूनों में सुधार करने से कृषि अर्थव्यवस्था के संचालन में सुचारूता आएगी किंतु संवेदनशील समस्या कहीं और है।

अन्य शब्दों में, शीतमंडारों का निर्माण तथा कानून और विनियमों में सुधार, समस्या का समाधान नहीं है। यदि ऐसा होता तो गांववासी बहुत पहले इसका समाधान कर चुके होते। फल एवं सब्जियों की मुद्रा-स्फीति की प्रमुख समस्या शहरी भारत में है, जहां किसानों की पहुंच नहीं है।

ग्रामीण समस्याएं शहरी भारत में हैं

शहरों में पहुंचते ही कुछ घंटों में फल एवं सब्जियों के आधे से अधिक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यह समय होता है जब ट्रक से मंडी में प्रातः चार बजे टोकरियां उतारी जाती हैं और प्रातः 11:00 बजे ही गलियों में बेची जाती हैं। इस समय में लागत 1 रू. से बढ़कर 2 रू. से 2.5 रू. तक हो जाती है। प्रदूषित वायु, गंदे पानी से घोने, धूप में रखने और सड़ने तथा उच्च तापमान के कारण देश के सभी भागों में इन कुछ घंटों में ही माल की गुणवत्ता में कमी आती है। इस कार्य की यही विवशता और बर्बाद होने का कारण है।

अन्य शब्दों में जब इनका मूल्य 100 प्रतिशत या अधिक बढ़ता है तो दूसरी तरफ इसकी गुणवत्ता खराब, बासी, वातावरण का प्रभाव इसके स्वाद और पौष्टिकता को कई गुणा प्रभावित करता है। पूरे विश्व में शायद यही ऐसे उत्पादन हैं जिनके मूल्यों में तो कई गुणा वृद्धि होती है किंतु उनकी गुणवत्ता कई गुणा कम हो जाती है।

कई लोग कहते हैं कि बिचौलिए और व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं जो कुछ घंटों में ही अपने पैसों पर 100 प्रतिशत से अधिक लाभ कमा लेते हैं। कुछ विशेषज्ञ परामर्श देते हैं कि हमें बड़ी-बड़ी ऐसी कंपनियों की आवश्यकता है जो कम शोषण करें। कुछ पुराने विशेषज्ञ यही कहते हैं कि व्यापारियों पर व्यापक नियंत्रण रखा जाए ताकि वे शहरी उपभोक्ताओं से कम पैसा लें। किंतु मैं इनमें से किसी समाधान पर सहमत नहीं हूँ।

फल एवं सब्जियों का शहरी व्यापार

मैं दो प्रश्न पूछता हूँ और उनके उत्तर देता हूँ - सबसे पहले कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण। पहला, लक्ष्य क्या है - शहरी उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं या किसानों को अधिक लाभ ? और हमें इसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए ? कुछ व्यक्ति राजनैतिक उत्तर देकर अनाप-शनाप बातें करते हैं - जैसे कहते हैं कि दोनों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ न तो किसान न ही उपभोक्ता को लाभ दिया जाए। हमें कारोबार में बाधाओं को पहचानकर उन्हें दूर करना चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ मिलेगा।

आज उपभोक्ता को अधिक मूल्य इसलिए देना पड़ता है कि उत्पादक प्रभावित होते हैं, यदि उत्पादकों को अच्छा आर्थिक प्रबंधन मिले तो उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सस्ती मिल सकती हैं। हमें इस पद्धति को संवारने की आवश्यकता है जिससे उत्पादक और उपभोक्ताओं के कार्यों का संचालन होता रहे - अन्य शब्दों में - व्यापार।

दूसरा, सहकारी संस्थाएँ भी इसका समाधान नहीं है। विक्रेता और खरीद करने वाली सहकारी समितियाँ कुछ सीमा तक स्थिति सुधार सकती हैं किंतु समस्या का समाधान नहीं कर सकती हैं। कारण वही हैं किंतु इससे कुछ अलग भी हो सकते हैं। सहकारिता कार्यों के लिए एक उच्च स्तर का समन्वय आवश्यक है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य घंटे दर घंटे बदलें तो सहकारी कार्य एक कठोर कार्यवाही शायद ही कर पाए।

तथ्य यह है कि कार्पोरेट या सहकारी संस्थाएँ प्रमुख उत्तर नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें अनुमति न दें किंतु हमें केवल उन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो उत्तर कहाँ है ? इसका उत्तर फल एवं सब्जियों के व्यापारियों की शहरों में उपस्थिति और रेहड़ी वालों, पटरी वालों तथा लघु कालिक रूप से बेचने वाले और उनकी आपूर्तिकारों के बीच में ही है।

यह तभी सम्भव होगा जब नगर निगम के कानून ठीक किए जाएं, शहरी सुविधाएँ लचीली हों तथा शहरी सार्वजनिक स्थानों में या आस पास इन विक्रेताओं को स्थान दिया जाए, प्रमुख मंडियों और आवासिय क्षेत्रों के आस पास माइक्रोकोल्ड भंडारण सुविधा दी जाये, पुलिस और नगर निगम के इंस्पेक्टरों आदि से आने वाली समस्याओं के निवारण का उपाय होना चाहिए। क्या यह किया जा सकता है और कौन करेगा ? इसमें कितना समय लगेगा ? इसमें कितना पैसा खर्च होगा ?

यह किया जा सकता है और सरकार के सभी विभागों के द्वारा भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिये सलाहकार ऐजेंसी के माध्यम से निर्देश देना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय दिशा निर्देशों की सूचना निम्न स्तर पर कार्य करने वालों और मानीटरिंग करने वालों को देनी होगी, और शहरों में स्थानीय नगर निकायों की कारगर भागीदारी उपलब्ध करानी होगी।

इस कार्यो को वहां तक किया जा सकता है जहाँ तक हम चाहें किंतु इसे नगरों में लागू करना होगा। किंतु इस प्रकार के निर्देशों का सामान्य प्रचार करने से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों पर दबाव बढ़ेगा जिससे सही दिशा में जाने की सहायता मिलेगी और कोई भी इसके विरुद्ध कार्य नहीं करेगा।

शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कोई लागत नहीं आएगी।

इस प्रकार के वातावरण से जोखिम और अनिश्चितता में कमी आएगी साथ ही झुंटाचार और कारोबार में आने वाले अन्य खर्च में भी कमी आएगी। इस साधारण व्यापारिक वातावरण से व्यापारियों में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। उपभोक्ता और किसान दोनों को ही लाभ मिलेगा (लाभ की मात्रा निश्चित रूप से वस्तु और उसके क्षेत्र पर निर्भर करेगी)।

कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो फल एवं सब्जियों के कारोबार की तकनीक लगभग वही है, जो स्वतंत्रता से पहले थी। एक बार ऐसी बाधाओं को हटा दिया जाए तो कृषि क्षेत्र में स्वतः ही निवेश बढ़ जाएगा चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, या सहकारी संस्थाएँ अथवा बड़े व्यापारी या छोटे रेहड़ी वाले पैसा लगाएँ।

निष्कर्ष

शहरी व्यापार के लिए वातावरण सुधारना ही किसानों की समस्या का प्रमुख समाधान है। यह किसानों को कैसे जोड़ेगा ? कड़ी प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ आर्थिक वातावरण से व्यापारिक पद्धति के माध्यम से किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा सम्पर्क बनेगा - वर्तमान में इस सम्पर्क में बाधाएँ हैं। इन बाधाओं के कारण ही कई अनौपचारिक या गैर संगठित क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि रेहड़ी वाला या पटरी वाला फारमल सेक्टर में कार्य नहीं कर सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शहरी मांग में सुधार करने पर किसानों को सीधे लाभ मिलेगा तो वे अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। शहरी क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करने के लिए गाँववासियों के लिए कानून द्वारा आने वाली बाधाओं की सरलता से पहचान की जा सकती है। सुधारों से इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम आएंगे। इसी कारण जब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक माल जाएगा तो शीतमंडार और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को लाभ पहुँचेगा और उन्हें न तो सरकार की आर्थिक सहायता पर न ही सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ेगा।

दोहराना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था एक मिश्रित मशीन की तरह है जहाँ पर प्रत्येक भाग उस दूसरे भाग पर निर्भर करता है कि वह भाग कैसे कार्य कर रहा है। एक पुर्जे को ठीक करने से ही दूसरे पुर्जे पर असर पड़ता है और मशीन सुचारू ढंग से कार्य करती है। व्यापार किसी भी आर्थिक कार्य का केन्द्रीय पुर्जा है यह सम्पूर्ण कार्य करता है और यदि सही दिशा में कार्य करे तो खरीददार और उपभोक्ता,

उत्पादक सभी को लाभ मिलेगा। आइये सबसे पहले हम कृषि व्यापार को सही करें और इसके लिए शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्र स्वयं ठीक हो जाएंगे या सरकार पर दबाव बनाएंगे कि यह समस्याओं का समाधान करे जिनका वे सामना कर रहे हैं।

क्या सब कुछ हमें मिलकर नहीं करना चाहिए ?

सरकार अर्थव्यवस्था पर तीन महत्वपूर्ण औजारों से प्रभाव डालती है - कर और आर्थिक सहायता, कई प्रकार की आधारभूत सुविधायें उत्पन्न करके, वस्तुयें और सेवा उपलब्ध कराना तथा कानून और अन्य उपायों के द्वारा आदेशों को लागू करना जिनसे व्यक्ति को पता चले कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं।

यह कहना बौद्धिक रूप से सरल होता है कि सभी क्षेत्रों में एक समान कार्य किया जाए। किंतु वैसा नहीं होता जैसा चाहा जाता है। लागू करने के लिए सभी क्षेत्रों में वरीयता होती है। हम वर्तमान स्थिति के अनुसार लागत चैन, किसानों से संबंधित कानून, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार खोलना, कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम और अनिवार्य जिंस अधिनियम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इनका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा क्योंकि यह ऐसा अंतिम क्षेत्र है जहाँ पर कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या विद्यमान है।

एक बार हम मूल्य चैन की अंतिम कड़ी - उपभोक्ता-रिटेलर-होलसेलर में विचारणीय सुधार कर दें तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नीचे के क्षेत्र तक जाएगा। अतः हमें निम्न स्तर की समस्याओं को सुधारने में प्रयास करने चाहिए जिन्हें ठीक करना अधिक कठिन है, इसलिए इन्हें वरीयता सूची में सबसे ऊपर रखने की आवश्यकता है।

* संस्थापक निदेशक, इंडिकस एनालिटिक्स

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए-1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली- 110013, फोन: 011-24359509, 65650384, ई-मेल: contact@bks.org.in, वेबसाइट: www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह माटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस -2, नई दिल्ली -110020 द्वारा मुद्रित।